न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 52/2017 G.C.M.S. No. 2017/00376 दर्ज दिनांक : 14.07.2017

अपीलार्थिगणः

1. रती पत्नि स्व. सकाराम
2. गुदी पुत्री स्व. सकाराम
3. वीरू पुत्री स्व. सकाराम
4. राधा पुत्री स्व. सकाराम
5. इन्दरा पुत्री स्व. सकाराम नाबालिग जरिये माता अपीलांट संख्या 1 रती पत्नि स्व. सकाराम तमाम जातिगण मेणा निवासीगण कोरटा, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. स्व. पुरा के का.मु.:–
   1/1 गणेश पुत्र स्व. पुराजी
   1/2 राजीराम पुत्र स्व. सवदा पुत्र पुरा
   1/3 रताराम पुत्र स्व. सवदा पुत्र पुरा
   1/4 समेलाराम पुत्र स्व. सवदा पुत्र पुरा
2. स्व. हेमा पुत्र केसा के का.मु.:–
   स्व. भेरा पुत्र हेमा के का.मु.:–
   2/1 अबीयाराम पुत्र स्व. भेरा
   2/2 जोराराम पुत्र स्व. भेरा
   2/3 मगाराम पुत्र स्व. हेमा पुत्र केसा, जातिगण रेबारी निवासीगण कोरटा, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
3. स्व. पुना पुत्र रूगनाथ के का.मु.:–
   स्व. भगा पुत्र पुना के का.मु.:–
   3/1 पोसी पत्नि स्व. भगाराम
   3/2 पाबू पुत्री स्व. भगाराम (नाबालिग)
   3/3 देवी पुत्री स्व. भगाराम (नाबालिग)
   रेस्पोंडेंट संख्या 3/2 व 3/3 जरिये कुदरती वलिया माता पोसी पत्नि स्व. भगाराम
4. लच्छीया पुत्र पुना
5. खेता पुत्र रूगनाथ
6. जवाना पुत्र रूगनाथ, जातिगण रेबारी निवासीगण कोरटा, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 04/2016 बअनवान पुरा के कायम मुकाम गणेश वगैरह बनाम रती वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2016 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकारः–

Scanned with OKEN Scanner

1. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, श्री वेलाराम राठौड़, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. रेस्पोंडेंट संख्या 1/1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. सरकारी पैरोकार रेस्पोंडेंट संख्या 7

निर्णय

दिनांक: 25.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 04/2016 बअनवान पुरा के कायम मुकाम गणेश वगैरह बनाम रती वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 1/1 व 2/3 द्वारा एक वाद सरहद मौजा कोरटा तहसील सुमेरपुर के पुराने खसरा नम्बर 689 व 690 के दौराने सेटलमेन्ट बने नये खसरा नम्बर 583 रकबा 0.69 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 584 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल रकबा 0.75 हैक्टेयर की विवादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश किया। उक्त वाद अपीलाण्ट्स के जवाब हेतु विचाराधीन था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र, कोरटा में उक्त विचाराधीन पत्रावली को सुनवाई हेतु रखा गया। जहां पक्षकारों के जवाब व साक्ष्य रेकर्ड पर लिये बगैर ही एवं सुनवाई के पूर्ण अवसर दिये बिना ही आनन–फानन में कैम्प के टारगेट को पूरा करने की नियत से राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति को नजरअन्दाज करते हुए प्राकृतिक सिद्धान्तों को ताक में रखकर वाद का निस्तारण कर निर्णय व डिक्री पारित की हैं, जो काबिले निरस्त योग्य है। विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 583 रकबा 0.69 हैक्टेयर के 1/2वां हक–हिस्से एवं खसरा नम्बर 584 रकबा 0.42 हैक्टेयर पर अपीलाण्ट्स का कब्जा काश्त आज भी कायम है तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अपीलाण्ट्स का नाम उक्त खातेदारी में इन्द्राज है। साथ ही उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलाण्ट्स का पुश्तैनी कब्जा काश्त रहने से सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा मौका स्थिति अनुसार राजस्व रेकर्ड में दौराने सेटलमेन्ट इन्द्राज किया है। जो सही एवं सत्य है। उक्त राजस्व रेकर्ड अनुसार लगातार अपीलाण्ट्स का काफी वर्षो पूर्व से पुश्तैनी कब्जा काश्त आज भी कायम है। परन्तु रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 1/1 लगायत 2/3 अपीलाण्ट्स को उक्त कृषि भूमि से बेदखल करने की नियत से झूठे तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष काफी वर्षो बाद वाद पेश किया है। अगर रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 1/1 लगायत 2/3 का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त कायम रहता तो बहुत पहले ही उक्त वाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना था। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त कृषि भूमि का

Scanned with OKEN Scanner

विचाराधीन वाद राजस्व केम्प कोरटा में अपीलाण्ट्स व उसके अधिवक्ता की गैर मौजूदगी में बिना सहमति व जवाब के ही एकतरफा कार्यवाही कर निस्तारित किया है, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट्स को अधिवक्ता द्वारा भी समय पर नहीं मिली। हाल ही में राजस्व केम्प के दौरान अपीलाण्ट्स द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर जानकारी में आया कि उक्त वाद का निस्तारण हो चुका है। अपीलाण्ट्स को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में हुए निर्णय व डिक्री के सम्बन्ध में प्रथम बार दिनांक 25.05.2017 को जानकारी में आया। उक्त जानकारी होते ही अपीलाण्ट्स ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णय व डिक्री की नकलें प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो नकलें राजस्व लोक अदालत कैम्प के रहते अपीलाण्ट्स को दिनांक 09.06.2017 को प्राप्त हुई। नकलें प्राप्त होते ही अपीलाण्ट्स ने बिना किसी देरी के अपील पेश करने हेतु अधिवक्ता से सम्पर्क किया एवं सम्बन्धित दस्तावेज सुपुर्द किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2016 के निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 07.07.2017 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व अधिवक्ता अपीलांट की गैर मौजदूगी में लोक अदालत कैम्प में एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जिसकी जानकारी नहीं रही। जो प्रथम बार दिनांक 25.05.2017 को जानकारी होने पर नकल आदि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादीगण अपीलांट के जवाबदावे में नियत थीं। इसी दरम्यान दिनांक 20.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत कैम्प में रखकर अपीलांट की गैर मौजूदगी में

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जिसकी जानकारी अपीलांट को होना अपेक्षित नहीं हैं। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, अभिलेख शुद्धि, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया, जो दिनांक 14.01.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 12.02.2016 को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.03.2016 व 30.03.2016 को पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाबदावे में नियत रही। तत्पश्चात दिनांक 20.06.2016 को प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्राप्त किए बिना, प्रतिवादीगण की सहमति व राजीनामे के अभाव में तथा प्रतिवादीगण व अधिवक्ता प्रतिवादीगण की गैर मौजूदगी में लोक अदालत फॉलोअप कैम्प में पत्रावली नियत कर निर्णित व डिक्री की गई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र के निर्णयन के लिए आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जो पुष्टियोग्य नहीं हैं।

5. लोक अदालत में पारित निर्णय व डिक्री के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– **"No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties."** इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 04/2016 बअनवान पुरा के कायम मुकाम गणेश वगैरह बनाम रती वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.09.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **25.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner